

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

महाराजगंज, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, गोरखपुर, बस्ती, बहराइच, बिजनौर, सिद्धार्थनगर, गाजीपुर, गोण्डा, बलिया, देवरिया, सीतापुर, बलरामपुर, अयोध्या, मऊ, फर्रुखाबाद, बदायूँ, अम्बेडकरनगर, श्रावस्ती, आजमगढ़, संतकबीर नगर, पीलीभीत, बाराबंकी, सहारनपुर, शामली, अलीगढ़, बरेली, हमीरपुर, गौतमबुद्ध नगर, रामपुर, प्रयागराज, बुलन्दशहर, मुरादाबाद, हरदोई, वाराणसी, उन्नाव, लखनऊ, शाहजहाँपुर, कासगंज, जौनपुर, झांसी, ललितपुर, बांदा, आगरा, मिर्जापुर, जालौन, मीरजापुर, इटावा, भदोही एवं प्रतापगढ़।

राजरव अनुभाग-10

लखनऊ : दिनांक: 09 अगस्त, 2020

विषय:-वित्तीय वर्ष 2020-21 में बाढ़ से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों/परिवारों को राहत सहायता प्रदान किये जाने के लिये राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपदों में आई बाढ़/बाढ़ की संभावना के दृष्टिगत प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत सहायता प्रदान किये जाने एवं अन्य अनुमन्य व्यक्तियों के लिये बाढ़ मद में निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय वर्ष 2020-21 में **रु० 14,10,00,000/- (रुपये चौदह करोड़ दस लाख मात्र)** की धनराशि, कालम-2 में अंकित जनपदों के जिलाधिकारी को कालम-4 में अंकित धनराशि अग्रिम रूप से निर्वर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रु० में)				
क्रमांक	जनपद का नाम	पूर्व में स्वीकृत धनराशि	स्वीकृत की जाने वाली धनराशि	कुल धनराशि
1	2	3	4	5
1	महाराजगंज	20.00	50.00	70.00
2	कुशीनगर	20.00	50.00	70.00
3	लखीमपुर खीरी	20.00	50.00	70.00
4	गोरखपुर	20.00	50.00	70.00
5	बस्ती	20.00	50.00	70.00
6	बहराइच	20.00	50.00	70.00
7	बिजनौर	20.00	20.00	40.00
8	सिद्धार्थनगर	20.00	50.00	70.00
9	गाजीपुर	20.00	20.00	40.00
10	गोण्डा	20.00	50.00	70.00
11	बलिया	80.00	50.00	130.00
12	देवरिया	20.00	50.00	70.00
13	सीतापुर	20.00	50.00	70.00

14	बलरामपुर	20.00	50.00	70.00
15	अयोध्या	20.00	50.00	70.00
16	मऊ	20.00	50.00	70.00
17	फर्रुखाबाद	20.00	20.00	40.00
18	बदायूँ	20.00	20.00	40.00
19	अम्बेडकरनगर	20.00	50.00	70.00
20	श्रावस्ती	20.00	20.00	40.00
21	आजमगढ़	20.00	50.00	70.00
22	संतकबीरनगर	20.00	50.00	70.00
23	पीलीभीत	20.00	50.00	70.00
24	बाराबंकी	20.00	50.00	70.00
25	सहारनपुर	10.00	10.00	20.00
26	शामली	10.00	20.00	30.00
27	अलीगढ़	10.00	10.00	20.00
28	बरेली	10.00	10.00	20.00
29	हमीरपुर	64.00	10.00	74.00
30	गौतमबुद्ध नगर	10.00	10.00	20.00
31	रामपुर	10.00	10.00	20.00
32	प्रयागराज	10.00	20.00	30.00
33	बुलन्दशहर	10.00	10.00	20.00
34	मुरादाबाद	10.00	10.00	20.00
35	हरदोई	10.00	10.00	20.00
36	वाराणसी	10.00	20.00	30.00
37	उन्नाव	10.00	20.00	30.00
38	लखनऊ	10.00	10.00	20.00
39	शाहजहाँपुर	10.00	20.00	30.00
40	कासगंज	10.00	10.00	20.00
41	जौनपुर	10.00	10.00	20.00
42	झांसी	10.00	10.00	20.00
43	ललितपुर	10.00	10.00	20.00
44	बांदा	10.00	10.00	20.00
45	आगरा	10.00	10.00	20.00
46	चित्रकूट	10.00	10.00	20.00
47	जालौन	10.00	10.00	20.00
48	मीरजापुर	21.42	10.00	31.42
49	इटवा	10.00	10.00	20.00
50	भदोही	10.00	10.00	20.00
51	प्रतापगढ़	-	50.00	50.00
योग		865.42	1410.00	2275.42

(1) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।

- (2) स्वीकृत धनराशि आहरित करके बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी अपितु आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत प्रदान किये जाने को शासन की शीर्ष प्राथमिकता के दृष्टिगत स्वीकृत की जा रही धनराशि का पारदर्शी एवं त्वरित ढंग से वितरित किये जाने हेतु वित्त विभाग के शासनादेश सं०-ए-1-803/दस-2013-10(28)/2011, दिनांक 10.10.2013 (उक्त शासनादेश पूर्व में सभी मण्डलायुक्त/जिलाधिकारीगण को प्रेषित किया जा चुका है, जिसे राहत की वेबसाइट पर देखा एवं प्राप्त किया जा सकता है) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित जनपदीय कोषागार से सीधे लाभार्थी के बैंक खातों में ई-पेमेन्ट के माध्यम से ही भुगतान सुनिश्चित किया जाये।
- (3) राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि दैवीय आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता का वितरण भारत सरकार के पत्र सं०-32-7/2014-एनडीएम-1, दिनांक: 08.04.2015 जिसमें राहत प्रदान करने के लिए मानक/दरें निर्धारित हैं तथा जो दिनांक: 01.04.2015 से प्रभावी हैं, का भी अनुपालन किया जायेगा।
- (4) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।
- (5) वितरित सहायता की सूची ग्राम सभा के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाये और ग्राम सभा की अगली खुली बैठक में इस पढ़कर सुनाया भी जाये।
- (6) निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित करना व्यय का पूर्व विवरण शासन की निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाये।
- (6) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट <https://rahat.up.nic.in> पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये।
- (7) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं०-2/1-11-2013-रा०-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2021 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।
- (8) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं०-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(9) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

2- उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान सं०-51 के अंतर्गत लेखाशीर्षक '2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-02-बाढ़ राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय' के नामे डाला जायेगा।

भवदीया,

(रेणुका कुमार)

अपर मुख्य सचिव।

संख्या:-495(1)/एक-10-2020-33(36)/2018टीसी, दिनांक अगस्त, 2020

प्रतिलिपित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र० प्रयागराज।
- 2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ०प्र० लखनऊ।
- 4- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ०प्र०।
- 5- सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उ०प्र०।
- 6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
- 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजय गोयल)

सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2020-2021
आवंटन दिनांक-10/08/2020

प्रेषण संख्या:- 495
आवंटन आदेश संख्या:- 126-33
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2020-2021 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 -
02 - बाढ़ राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय
(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	बुलन्दशहर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1000000 2000000	1000000 2000000
2	अलीगढ़-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1000000 2000000	1000000 2000000
3	आगरा-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1000000 2000000	1000000 2000000
4	बरेली-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1000000 2000000	1000000 2000000
5	मुरादाबाद-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1000000 2000000	1000000 2000000
6	शाहजहांपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2000000 3000000	2000000 3000000
7	रामपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1000000 2000000	1000000 2000000
8	इटावा-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1000000 2000000	1000000 2000000
9	प्रयागराज-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2000000 3000000	2000000 3000000
10	झाँसी-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1000000 2000000	1000000 2000000
11	जालौन-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1000000 2000000	1000000 2000000
12	हमीरपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1000000 7400000	1000000 7400000
13	बांदा -4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1000000 2000000	1000000 2000000
14	वाराणसी-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2000000 3000000	2000000 3000000
15	मिर्जापुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1000000 3142000	1000000 3142000
16	जौनपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1000000 2000000	1000000 2000000
17	लखनऊ कलेक्ट्रेट -4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1000000 2000000	1000000 2000000
18	उन्नाव-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2000000 3000000	2000000 3000000

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
19	हरदोई-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	1000000 2000000	1000000 2000000
20	प्रतापगढ़-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 5000000	5000000 5000000
21	ललितपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	1000000 2000000	1000000 2000000
22	संत रविदास नगर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	1000000 2000000	1000000 2000000
23	गौतमबुद्ध नगर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	1000000 2000000	1000000 2000000
24	चित्रकूट-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	1000000 2000000	1000000 2000000
25	कांसगंज-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	1000000 2000000	1000000 2000000
26	शामली-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	2000000 3000000	2000000 3000000
	योग	वर्तमान प्रगामी	35000000 66542000	35000000 66542000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया तीन करोड़ पचास लाख

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया छः करोड़ पैंसठ लाख बयालीस हजार

(उमेश कुमार उपाध्याय)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
(उमेश कुमार उपाध्याय)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त संगठन
उ०प्र० शासन

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2020-2021
आवंटन दिनांक-10/08/2020

प्रेषण संख्या:- 495
आवंटन आदेश संख्या:- 127-33
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2020-2021 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 -
02 - बाढ़ राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय
(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	सहारनपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1000000 2000000	1000000 2000000
2	बिजनौर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2000000 4000000	2000000 4000000
3	बदायूं-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2000000 4000000	2000000 4000000
4	पीलीभीत-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 7000000	5000000 7000000
5	फर्रुखाबाद-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2000000 4000000	2000000 4000000
6	गाज़ीपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2000000 4000000	2000000 4000000
7	बलिया-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 13000000	5000000 13000000
8	गोरखपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 7000000	5000000 7000000
9	बस्ती-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 7000000	5000000 7000000
10	आजमगढ़-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 7000000	5000000 7000000
11	देवरिया-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 7000000	5000000 7000000
12	सीतापुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 7000000	5000000 7000000
13	लखीमपुर खीरी-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 7000000	5000000 7000000
14	अयोध्या-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 7000000	5000000 7000000
15	गोण्डा-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 7000000	5000000 7000000
16	बहराइच-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 7000000	5000000 7000000
17	बाराबंकी-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 7000000	5000000 7000000
18	मऊ-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 7000000	5000000 7000000

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
19	सिद्धार्थनगर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 7000000	5000000 7000000
20	महाराजगंज-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 7000000	5000000 7000000
21	कुशीनगर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 7000000	5000000 7000000
22	अम्बेदकर नगर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 7000000	5000000 7000000
23	बलरामपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 7000000	5000000 7000000
24	संत कबीर नगर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 7000000	5000000 7000000
25	श्रावस्ती-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	2000000 4000000	2000000 4000000
	योग	वर्तमान प्रगामी	106000000 161000000	106000000 161000000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया दस करोड़ साठ लाख
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया सोलह करोड़ दस लाख

(उमेश कुमार उपाध्याय)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
(उमेश कुमार उपाध्याय)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त संगठन
उ०प्र० शासन